प्रेस नोट दिनांक 13.05.2025

थाना बारादरी जनपद बरेली।

थाना बारादरी पुलिस द्वारा दो शातिर अभियुक्तो को तेल चोरी की योजना बनाते समय 02 अदद अवैध तमंचा व एक अदद मो0सा0 बिना नम्बर के साथ गिरफ्तार किये जाने के सम्बन्ध में

दिनांक 11.05.2025 को मनोज कुमार पुत्र श्रीमान सिंह निवासी सम्राट अशोक नगर गली नं0 11 थाना बारादरी बरेली द्वारा सूचना दी गयी कि इनके घर में रात्रि करीब 11.00 बजे दीपक पटेल व एक अन्य अज्ञात व्यक्ति द्वारा आकर गाली गलौज , मारपीट की गयी एवं जाते समय दहशत फैलाने के लिए हवाई फायरिंग की गयी, जिसके आधार पर थाना बारादरी पर मु0अ0 सं0 482/2025 धारा 115(2)/352/351(2)/351(3)/125 बीएनएस बनाम दीपक पटेल व एक अन्य अज्ञात के विरूद्ध पंजीकृत किया गया।

उक्त घटना को श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बरेली महोदय द्वारा गम्भीरता से लेते हुए नामित एवं अज्ञात अभियुक्त की त्वरित गिरफ्तारी हेतु निर्देशित किया गया, जिसके क्रम में थाना बारादरी पुलिस द्वारा दिनांक 12/13.05.2025 को देर रात्रि समय करीब 12.00 बजे 99 बीघा के ग्राउण्ड से मुखबिर की सटीक सूचना एवं सर्विलान्स की मदद से उक्त घटना में शामिल 02 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया, जिनका नाम **दीपक पुत्र गंगा सिंह निवासी ग्राम तिरकुनिया थाना बिथरीचैनपुर जनपद बरेली उम्र करीब 24 वर्ष 02. केशव पटेल पुत्र राजेन्द्र सिंह निवासी कमुआ खुर्द थाना बिथरीचैनपुर जनपद बरेली उम्र करीब 24 वर्ष है। गिरफ्तार अभियुक्तों के पास से 02** तमंचा नाजायज 315 बोर मय 02 जिन्दा कारतूस 315 बोर व एक खोखा कारतूस 315 बोर तथा एक मोटर साईकिल हीरो स्प्लेन्डर प्लस बिना नम्बर प्लेट सहित बरामद किया गया है । बरामदगी के आधार पर पंजीकृत अभियोग में धारा 3/25 आर्म्स एक्ट एवं सुसंगत बीएनएस की धारा की बढौत्तरी की गयी। गिरफ्तार अभियुक्तों के विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही की गयी।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त व अपराधिक इतिहास –

1. **दीपक पुत्र गंगा सिंह निवासी ग्राम तिरकुनिया थाना बिथरीचैनपुर जनपद बरेली उम्र करीब 24 वर्ष।**

मु0अ0सं0 – 202/2021 धारा 3/25 A Act थाना बिथरी चैनपुर बरेली।
मु0अ0सं0 – 0268/2024 धारा 323/364/376/452/504/506 भादवि व 3(1)(घ)(द)/3(2)(V)एससी/एसटी एक्ट थाना बिथरी चैनपुर बरेली।
मु0अ0सं0 – 287/2020 धारा 308/323/504/506 भादवि थाना बिथरी चैनपुर बरेली।
मु0अ0सं0 – 286/2020 धारा 147/148/149/308/34 भादवि थाना बिथरी चैनपुर बरेली।
मु0अ0सं0 – 482/2025 धारा 115(2)/352/351(2)/351(3)/125 बीएनएस व 3/25 आर्म्स एक्ट थाना बारादरी बरेली।

2.केशव पटेल पुत्र राजेन्द्र सिंह निवासी कमुआ खुर्द थाना बिथरीचैनपुर जनपद बरेली उम्र करीब 24 वर्ष।

मु0अ0सं0स 482/2025 धारा 115(2)/352/351(2)/351(3)/125 बीएनएस व 3/25 आर्म्स एक्ट थाना बारादरी बरेली।
मु0अ0सं0 629/2024 धारा 109 बीएनएस व 3/25 आर्म्स एक्ट थाना इज्जतनगर बरेली।
मु0अ0सं0 664/2024 धारा 109 बीएनएस व 3/25 आर्म्स एक्ट थाना इज्जतनगर बरेली।
मु0अ0सं0 523/2024 धारा 309(4)/317(2) बीएनएस थाना इज्जतनगर बरेली।

पूछताछ-

पूछताछ में दोनो अभियुक्तों द्वारा बताया कि मनोज कुमार उनके साथ एक प्रकरण में जेल गया था। जेल से जमानत से आने के बाद हम लोगों से अलग रहने लगा तथा किराये का कमरा लेकर बरेली में रहने लगा। कई बार हम लोग दावत के लिए कहे किन्तु तैयार नहीं हुआ। दिनांक 11.05.2025 को भी हम दोनों दावत के लिए ही आये थे किन्तु मनोज कुमार तैयार नहीं हुआ तो हम लोगों से गाली गलौज हुआ, तब तक गाली गलौज सुनकर आस पास के लोग आने लगे। हम दोनों लोग इसी मो0सा0 से वहां से भाग गये थे। जाते समय दीपक ने एक हवाई फायरिंग कर दी थी। आज हम लोग तेल चोरी करने के प्लान में निकले थे कि पकडे गये। पूर्व में तेल चोरी में थाना इज्जतनगर से केशव पटेल जेल गया था और उस समय मैं साथ में नही था तो बच गया था।

बरामदगी-

02 तमंचा नाजायज 315 बोर
02 जिन्दा कारतूस 315 बोर
एक खोखा कारतूस 315 बोर
एक मोटर साईकिल हीरो स्प्लेन्डर प्लस
(बिना नम्बर प्लेट जो दीपक पटेल के नाम से है।)

पुलिस टीम-

1. प्र0नि0 श्री धनन्जय कुमार पाण्डेय थाना बारादरी बरेली
2. उ0नि0 धर्मेन्द्र विश्नोई चौकी प्रभारी जोगी नवादा थाना बारादरी बरेली ।
3. उ0नि0 सनी चौधरी चौकी प्रभारी जगतपुर थाना बारादरी बरेली
4. उ0नि0 रामवीर सिंह थाना बारादरी बरेली
5. हे0का0 21 विनीत कुमार थाना बारादरी बरेली
6. का0 688 राजू, थाना बारादरी बरेली ।
7. हे0का0 804 उमेश कुमार, थाना बारादरी बरेली ।
8. का0 3272 पंकज धनकड, थाना बारादरी बरेली ।
9. का0 40 छोटू थाना बारादरी बरेली ।